भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3030
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)

आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए रोजगार के अवसर

3030. **श्री रामशिरोमणि वर्माः**
श्री नायब सिंह सैनीः
श्री ज्ञानेश्वर पाटिलः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए कोई विशेष उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर श्रावस्ती, कुरुक्षेत्र और खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम अवसर सृजित करने के लिए क्या कदम उठ जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों सहित देश भर में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों में केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 11.03.2023 तक, इस योजना के तहत 60.31 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य में 4.32 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है जिसमें से 9 लाभार्थी श्रावस्ती जिले से थे, हरियाणा राज्य में 3.99 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया जिसमें से 2241 लाभार्थी कुरुक्षेत्र जिले से थे तथा मध्य प्रदेश राज्य में 2.05 लाख लाभार्थियों को लाभ दिया गया जिसमें से 1173 लाभार्थी खांडवा जिले से थे।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर **5** वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं जिससे 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

सरकार एक डिजिटल प्लेटफार्म (www.ncs.gov.in) के माध्यम से विभिन्न प्रकार की करियर संबंधी सेवाएं जैसे नौकरी ढूंढने और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को लागू कर रही है। एनसीएस परियोजना का उद्देश्य रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं तक निर्बाध पहुंच, देश के इच्छुक युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करना और करियर विकास सहायता की सुविधा प्रदान करना है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजगार मेलों का आयोजन, सेवायोजन पोर्टल (sewayojan.up.in) के माध्यम से, एनसीएस पोर्टल के साथ समन्वय से किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में, वर्ष 2020-21 से दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक, 3227 रोजगार मेले आयोजित किए गए और नौकरी चाहने वालों को 4.37 लाख नौकरियां प्रदान की गईं। श्रावस्ती जिले में, वर्ष 2020-21 से दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक, 29 रोज़गार मेले आयोजित किए गए, जिनमें नौकरी चाहने वालों को 2422 नौकरियां प्रदान की गईं।

हरियाणा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और कुशल वर्ग के लिए बाजार की मांग को पूरा करने हेतु, हरियाणा कौशल विकास मिशन (एचएसडीएम) और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं को कुशल बनाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई है।

*****